

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-04वीं सितम्बर 2020

सेवा में,

Uttam Maity,
H. No. 02, Uliyan main Road Kadma,
Dobo, Seraikela Kharsawan Jamsedpur.

विषय:- मौजा-Dobo, प्लॉट नं0-1356, खाता नं0-183, वार्ड नं0-02, थाना-262, जिला-सरायकेला-खरसावों में प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिली भवन के निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिली भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, सरायकेला के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-117 दिनांक-04.09.2020 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिली भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित आवासीय भवनों के परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 75,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ दोनों स्टेयरकेश लॉबियों में एक-एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रस्तावित भवन परिसर में दो यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट एवं सतही तल को स्वचालित स्पिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्पिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1650 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
9. प्रस्तावित भवनों में 450 Lpm क्षमता वाले एक-एक टेरस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. 180 Lpm क्षमता वाले एक जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
12. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
13. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।